



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1945 (श0)
(सं0 पटना 302) पटना, सोमवार, 10 अप्रील 2023

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
31 मार्च, 2023

एस० ओ० 121 दिनांक 10 अप्रील, 2023—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2022	129.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8539.443
अगस्त, 2022	130.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8559.165
सितम्बर, 2022	131.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8631.477
अक्टूबर, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
नवम्बर, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
दिसम्बर, 2022	132.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8697.216
योग :-			51848.03

वर्ष 2022 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत-51848.03÷6=8641.338

8641.33

अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं०-3816, 3817, दिनांक-30.09.2022
(गजट संख्या-811 दिनांक-30.09.2022)

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी होगी	01.04.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए।	348.00+7.00=355.00	14.00	369.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00=12839.00	503.00	13342.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/पम्प खलासी/चौकीदा/सिपाही/हलवाहा।	9795.00+196.00=9991.00	392.00	10383.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा।		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2022** के औसत के आधार पर **1 अप्रैल, 2023** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-40-17/2021 श्र०सं०-1695)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही,
अवर सचिव।

31 मार्च, 2023

एस० ओ०-122, 121, दिनांक 10 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-40-17/2021 श्र०सं०-1696)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही,
अवर सचिव।

The 31st March, 2023

S.O. 121 Date 10 April 2023--In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2022	129.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8539.443
August, 2022	130.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8559.165
September, 2022	131.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8631.477
October, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
November, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
December, 2022	132.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8697.216
Total			51848.03
Second Half Yearly Average of the year 2022 July-Dec. 51848.03 ÷ 6 = 8641.338			

or 8641.33

Schedule-1(B)

Agriculture Operations

Notification No. – 3816, 3817, Dated- 30.09.2022

Gazette No.-811 Dated- 30-09-2022

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2022 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2022 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00=355.00	14.00	369.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00=12839.00	503.00	13342.00 Per Month
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00=9991.00	392.00	10383.00 Per Month
4	Harvesting	One bundle in 10 bundle of harvested crops.		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2022** will be payable at the aforesaid rates form **1st April, 2023** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-17/2021 L&R-1695)
By the order of the Governor of Bihar,
Satish Kumar Shahi,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 302-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>